VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1418)

Name of Candidate	Bharti Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	
Center		Date	24/12/2020

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

Scanned with CamScanner

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Discuss the need to strengthen the National Commission for Scheduled Castes to tackle the problems faced by the Scheduled Castes in India.

(150 words) 10

भारत में अनुसूचित जातियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारतीय समाज में 'अनुसूचित जातियाँ' के रूप में ऐसी जातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो वर्षों से दलित, पिछड़ी हुई हैं। इसलिए संविधान में और समय-२ पर सरकार द्वारा उनके उत्थान व मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये। उदाहरण के लिए – अनु० -14, 15, 16, 17 तथा 'अनुसूचित जाति व जनजाति निवारण अधिनियम, 1989'

फिर भी, उनके विरुद्ध अत्याचार व उनके द्वारा की जा रही समस्याएँ कम नहीं हो रही। वे निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं –

i) अब भी कुछ जगह अस्पृश्यता की भावना बनी हुई है।

ii) हालांकि संविधान द्वारा किए गये प्रयासों से उनकी भागीदारी शासन, प्रशासन में बढ़ी है। परन्तु, समाज में अब भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता।

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ भी न लिखें)

iii) ~~कहीं-कहीं ऐसी~~ अनुसूचित जातियों में एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिसे सब लाभ प्राप्त हो रहे हैं जबकि निचला वर्ग अब भी दयनीय दशा में है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका उल्लेखनीय होगी। अब भी आयोग को अनेक शक्तियाँ जैसे- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं में परामर्श, इससे संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना व उनके संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं।

परंतु, अब भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। आयोग किसी व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए सजा नहीं दे सकता, उसकी भूमिका परामर्शकारी है। आयोग में लम्बित वादों की संख्या भी अधिक है।

अतः आयोग को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है जिससे वह अनुसूचित जातियों द्वारा की जाती समस्याओं का ~~सामना~~ निराकरण कर उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकें।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Does the Representation of People's Act ensure an effective mechanism against criminalization of politics in India? Discuss. (150 words) 10
क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भारत में राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध एक प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए।

'राजनीति के अपराधीकरण' से तात्पर्य है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजनीति में अपराधीकरण में वृद्धि हुई है, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम इसके लिए कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं —

i) लोकतंत्र के मूल्य का ह्रास होता है।

ii) लोगों में लोकतंत्र व सरकार के प्रति विश्वास में कमी होती है जिससे कानून-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है।

iii) भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।

iv) लोगों को ~~सरकारी~~ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

v) ऐसे प्रतिनिधि योजनाओं का निर्माण जनता के

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हित में न बनाकर अपने व हितों की पूर्ति के लिए बनाते हैं।

vi) नागरिक भागीदारी में कमी आती है।

परन्तु, ऐसा नहीं है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। कुछ प्रावधान हैं —

i) उम्मीदवारों को अपने व अपने रिश्तेदारों की आय, सम्पत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना अनिवार्य है।

ii) परन्तु, इसमें ये प्रावधान नहीं है कि अगर किसी पर लम्बित मुकदमा हो तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

अत: आवश्यक है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों (जो 2 वर्ष से अधिक जेल) के निर्वाचन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिससे लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी हो और विश्वास सुदृढ़ हो।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Discuss the challenges that are being faced by Gram Nyayalayas in their effective functioning. (150 words) 10

ग्राम न्यायालयों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने में सामना की जा रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

'ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008' द्वारा राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे गांवों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करें। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 1400 करोड़ ₹ की राशि भी दी है जिससे कि 5000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा सके।

परंतु, हाल ही एक रिपोर्ट में सामने आया है कि केवल कुछ राज्यों द्वारा ही ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई और कुछ ने तो इनकी स्थापना नहीं है।

जहाँ इनकी स्थापना है वे निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे हैं –

i) मोबाइल कोर्ट होने के कारण अवसंरचना की कमी।

ii) कुशल कर्मचारियों अर्थात मानव ~~अवसंरचना~~ संसाधन की कमी।

iii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं

अतः ~~नियमों~~ की बाध्यता नहीं होती है। इनके अनुपालन में कमी आती है।

iv) ~~किसी~~ वैसे इनकी स्थापना सप्ताह में 2 बार होती है, परन्तु, कहीं-कहीं 4-5 महीने में एक बार होती है।

v) कर्मचारियों द्वारा गाँव में काम करने की अनिच्छा।

vi) निर्णयों को लागू करने ~~में~~ की ज़िम्मेदारी नहीं।

अतः, आवश्यक है कि —

i) ग्राम न्यायालय की स्थापना स्थाई तौर पर की जाए।

ii) अवसंरचना व मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए

iii) निर्णयों को लागू करने के लिए प्रभावी अनुपालन तंत्र आदि।

अतः स्पष्ट है कि ग्राम न्यायालयों की चुनौतियों का निराकरण अतिशीघ्र किया जाएं तथा प्रत्येक गाँव में इनकी स्थापना की जाए जिससे अनु० - 39 A का उद्देश्य पूरा हो सके।

Scanned with CamScanner

4. Explain the rationale behind setting up 'Alternative Mechanisms' in ensuring effective decision making in the governance of the country.

(150 words) 10

देश के शासन में प्रभावी निर्णयन सुनिश्चित करने के लिए 'वैकल्पिक तंत्र' स्थापित करने का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical and complementary. Comment. (150 words) 10
नौकरशाही और लोकतंत्र के बीच संबंध विरोधाभासी और अनुपूरक दोनों हैं। टिप्पणी कीजिए।

लोकतंत्र से आशय 'जनता के शासन' से है। वहीं नौकरशाही एक अर्थ में 'जनता के शासन में मदद' करते हैं अर्थात् सरकार की नीतियों व योजनाओं को जनता तक पहुँचाते हैं।

नौकरशाही व लोकतंत्र में विरोधाभासी संबंध —

i) लोकतंत्र का उद्देश्य 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करें।

जबकि नौकरशाही एक अर्थ में जनता पर शासन करते हैं। वे स्वयं को जनता से ऊपर समझते हैं क्योंकि इनका निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता।

ii) लोकतंत्र का उद्देश्य है कि अन्तिम व्यक्ति तक वे सारी सुविधाएँ मिलें जो इसे वर्षों से नहीं मिली जबकि नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनसे उनका अधिकार छीन लेते हैं।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

नौकरशाही व लोकतंत्र में अनुपूरक संबंध ⇒

i) लोकतंत्र के लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नौकरशाही द्वारा ही पूरा होता है। सत्यनिष्ठ, सेवा भावना से परिपूरित नौकरशाह सरकार के कार्यक्रम व योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं।

ii) लोकतंत्र के उद्देश्य – समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि की पूर्ति नौकरशाही द्वारा निभाये गये अपने कार्यों से ही होती है। उदाहरण के लिए – अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना आदि तक आम आदमी की पहुंच नौकरशाही द्वारा उपलब्ध होती है।

iii)

अतः आवश्यक है कि नौकरशाही में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता, करुणा जैसे गुणों का समावेश कर लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

Call us : 8468022022, 9019066066

Visit us : www.visionias.in

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. By transforming the way governments work and reinventing people's participation in the democratic process, e-governance empowers the citizen in multiple ways. Discuss in the context of India. (150 words) 10
सरकारों के काम करने के तरीके में परिवर्तन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का पुनर्निर्माण करके, ई-शासन अनेक प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

'ई-शासन' से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से शासन करना तथा 'शासन' का अर्थ है कि सरकार को जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना।

ध्यातव्य है कि ई-शासन से नागरिकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और सरकार अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों को 'ऑनलाइन' रूप से नागरिकों तक पहुँचाती है जैसे- LPG सिलेण्डर पर DBT सब्सिडी। इससे निम्न परिवर्तन आते हैं:—

i) सरकार के काम करने के तरीके में परिवर्तन ⇒

- ई-शासन के द्वारा सरकार अपने प्रत्येक मंत्रालय का 'ई-चार्टर' उपलब्ध करा रही है
- अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों को जागरूक बना रही है।
- सोशल मीडिया से लोगों के फीडबैक प्राप्त करके अपनी योजनाओं में सुधार

- सरकार 'GeM' के माध्यम से MSME आदि से खरीदकर इन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बना रही है।
- कैशलेश पेमेंट ~~के माध्यम से~~ को प्रोत्साहित कर DBT का उपयोग।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी⇒

i) लोग ई-शासन के माध्यम से सरकार से सीधी वार्ता कर सकते हैं जैसे - 'मन की बात'

ii) सरकार की योजनाओं से प्राप्त लाभ व शिकायतों के बारे में फीडबैक ~~चैनेल~~ की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी,

iii) 'सूचना के अधिकार' के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार

iv) उपरोक्त से शासन में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि होती है ~~और~~ जिससे लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

Scanned with CamScanner

7. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 dilutes the spirit of Supreme Court's NALSA judgement towards self-determination of gender. Discuss. (150 words) 10

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लिंग के आत्मनिर्धारण के प्रति उच्चतम न्यायालय के नालसा (NALSA) निर्णय की भावना को कमजोर करता है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में, संसद द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया है। इसमें निम्न प्रावधान हैं-

i) स्व- लिंग निर्धारण की व्यवस्था की गई है।

ii) 8 प्रकार के भेदभाव के प्रति निषेध।

iii) लिंग प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा।

iv) 'उभयलिंगी व्यक्ति परिषद' की स्थापना की जाएगी।

v) इनके लिए ~~स्वास्थ्य~~ अलग स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

परन्तु, यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय के नालसा निर्णय की भावना को कमजोर करता है क्योंकि —

i) इसमें आत्मनिर्धारण का प्रमाणपत्र

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। परंतु, प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि होने पर 'अपील' का अधिकार नहीं होगा जो इनके शोषण को वैध बनाएगा।

ii) साथ ही, इस अधिनियम में 'रोज़गार' की व्यवस्था नहीं की गई। NALSA निर्णय में कहा गया था कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं व सेवाओं 'तृतीय लिंग' का विकल्प भी होगा साथ ही 'OBC' इन्हें 'OBC' का दर्जा दिया जाएगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीवन जीने में कमतर प्रतीत होता है। अतः इसमें NALSA निर्णय को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि अनु० - 14, 15, 16, 21 के उद्देश्य को पूरा कर समावेशी विकास किया जा सके साथ ही SDG-5 को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The worthwhile goal of Universal Health Coverage can be achieved by declaring the right to health as a fundamental right. Comment.

(150 words) 10

स्वास्थ्य के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के सार्थक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए।

'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' से आशय है कि सभी लोगों को वहनीय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो।

कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में 'आउट ऑफ पॉकेट' व्यय अधिक मात्रा में होता है जिससे लोग अपनी अधिकांश बचत स्वास्थ्य पर खर्च कर देते हैं और ~~ऋण~~ के बोझ के ~~दबे~~ तले दब जाते हैं। इससे ऋणग्रस्तता, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण आदि की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अगर 'स्वास्थ्य के अधिकार' को मूल अधिकार घोषित कर दिया जाता है तो

i) सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं वहनीय दर पर उपलब्ध होंगी जिससे लोग अपनी बचत का प्रयोग अपने व परिवार के विकास पर कर पाएंगे यथा – शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार

(ii) निजी स्वास्थ्य सेवाओं के शोषण से राहत मिलेगी।

(iii) अगर कोई अस्पताल उन्हें उनके अधिकार से वंचित करता है तो सीधे अनु०-32 व अनु०-226 के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

परंतु, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी विद्यमान हैं —

i) सरकारी व्यय में बढ़ोतरी हो जाएगी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

ii) न्यायालयी कार्य-भार में भी बढ़ोतरी।

iii) निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदाता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iv) इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि नागरिक बचे हुए धन का प्रयोग अपने विकास में खर्च करेंगे।

आवश्यक है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य ध्येय को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य को मूल अधिकार घोषित करने के स्थान पर स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाएं तथा गुणवत्ता में वृद्धि करें।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Indian Diaspora in the Gulf countries is an asset beset with multiple challenges. Comment. (150 words) 10
खाड़ी देशों में भारतीय डायस्पोरा अनेक चुनौतियों से घिरी एक परिसंपत्ति है। टिप्पणी कीजिए।

भारतीय डायस्पोरा से आशय भारतीय मूल के व्यक्ति व स्थाई तथा अस्थाई रूप से विदेश में निवास करने वाले भारतीय। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारतीय डायस्पोरा की संख्या लगभग 17.5 मिलियन हैं और ये महत्वपूर्ण, USA, कनाडा, ब्रिटेन में हैं।

हाल ही में, खाड़ी देशों में भारतीय डायस्पोरा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे —

i) covid-19 के कारण उनके रोजगार पर संकट।

ii) ये देश स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे रहें हैं।

iii) अधिकांश भारतीय अकुशल श्रमिक हैं और उनकी मांग कुशल श्रमिकों की है।

iv) ये देश अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहते हैं जिससे नए प्रकार के श्रमिकों की

Scanned with CamScanner

आवश्यकता होगी।

इन सबसे भारत को निम्नलिखित हानि हो सकती है—

i) भारत, विश्व में 'शीर्ष विप्रेषणकर्ता' देश है जिसके विप्रेषण में कमी आएगी।

ii) यह विप्रेषण यहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास व गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों में खर्च होता है। अतः इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iii) 'बेरोज़गारी' में वृद्धि होगी।

iv) भारत में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी जिससे युवाओं में असंतोष उत्पन्न होगा।

v) डायस्पोरा एक 'सॉफ्ट पावर' के रूप में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, अतः इस पर भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा।

उपरोक्त चिंताओं को देखते हुये आवश्यक है कि भारत अपने श्रमिकों को कौशल युक्त करें ~~उन देश~~ साथ ही भारत आने वाले डायस्पोरा के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाए और इन देशों से अच्छे राजनीतिक संबंध स्थापित करें।

(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Briefly outline the genesis and functioning of World Food Programme (WFP). Also highlight its contribution to India's effort in addressing the issue of hunger and malnutrition. **(150 words) 10**

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, भूख और कुपोषण की समस्या को दूर करने के भारत के प्रयासों में इसके योगदान पर भी प्रकाश डालिए।

Scanned with CamScanner

anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

11. Action against civil society groups is seen as shrinking space for dissent by some while others point out to the imperatives of merit based action against certain groups. Examine with examples. (250 words) 15

कुछ लोगों द्वारा नागरिक समाज समूहों के विरूद्ध कार्रवाई को असहमति के लिए कम होती स्वीकार्यता के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य लोग कतिपय समूहों के विरूद्ध गुणावगुण आधारित कार्रवाई की अनिवार्यता की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए।

'नागरिक समाज समूह' से तात्पर्य है कि जो सरकार से भिन्न होकर सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का मूल्यांकन करें और समाज के अनुकूल नीति-निर्माण के लिए सरकार को प्रोत्साहित करें।

ध्यातव्य है कि आजकल नागरिक समाज समूहों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिससे कुछ लोग इसे सरकार से असहमति के लिए कम होती स्वीकार्यता के रूप में देखते हैं —

i) चूंकि नागरिक समाज समूह, समाज के हित के अनुरूप सरकार के निर्णयों से सहमत भी हो सकता है और असहमत भी।

ii) नागरिक समाज समूह सरकार को जवाबदेह ब

Scanned with CamScanner

उत्तरदायी बनाने में मदद करता है जिससे सरकार जनता की आवश्यकता व अपेक्षाओं के अनुरूप नीति-निर्माण, योजनाओं का निर्माण करती है।

iii) सरकार के कार्यों में पारदर्शिता में वृद्धि होती है जिससे लोगों को सरकार की कार्यवाही, प्रक्रिया को जानने का अवसर मिलता है जिससे नागरिक भागीदारी में वृद्धि होती है।

iv) इन सभी कारणों के कारण नागरिक समूह के विरुद्ध कार्रवाई से यह पता चलता है कि सरकार असहमति को नहीं स्वीकार करती, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है।

जबकि कुछ समूह, नागरिक समाज समूह के विरुद्ध कार्रवाई को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि—

i) कुछ नागरिक समाज समूह (NGO) बल जनता में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न करते हैं।

ii) कुछ NGO's विदेशी हाथों के से चालित होते हैं जिनका उद्देश्य देश की एकता व अखण्डता

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

खण्डित करना है।

iii) कुछ नागरिक समाज समूह आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमनी जैसी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं।

iv) कुछ का राजनीतिकरण हो रखा होता है।

v) पारदर्शिता व जवाबदेहिता में कमी रहती है। ~~जिससे~~

उपर्युक्त कारणों की वजह से आवश्यक है कि सरकार नागरिक समाज समूह के विरुद्ध समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।

~~कुछ~~ स्पष्ट है कि ~~सरकार~~ नागरिक समाज समूह के विरुद्ध कार्यवाही इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार से असहमति रखते हैं, ~~बल्कि~~ इनके उद्देश्य के आधार पर होनी चाहिए। ~~आ~~ सरकार द्वारा FCRA (स०) इस दिशा में बड़ा कदम है।

Scanned with CamScanner

12. Discuss the implications associated with the Prime Minister's Office acting as the most powerful office due to its formidable influence in policymaking in India. (250 words) 15

भारत में नीति-निर्माण में अपने अत्यधिक प्रभाव के कारण प्रधान मंत्री कार्यालय के सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यालय के रूप में कार्य करने से संबद्ध निहितार्थों की विवेचना कीजिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। आज-कल भारत में नीति-निर्माण में प्रधानमंत्री-कार्यालय की भूमिका में वृद्धि हुई है जिससे निम्नलिखित लाभ व हानि उत्पन्न हुये हैं —

लाभ —

i) त्वरित निर्णय-प्रक्रिया।

ii) विशेषज्ञों द्वारा समूह विशिष्ट के लिए योजना / नीति निर्माण।

iii) मतभेद की संभावना कम होती है।

iv) क्रियान्वयन शीघ्र हो जाता है।

v) प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण शामिल हो जाता है।

vi) कैबिनेट मंत्रियों की योग्यता व कार्यकुशलता का उपयोग।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

हानि:→

i) लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल।

ii) अनु०-75 का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।

iii) 'व्यक्ति विशेष' का महत्व बढ़ता है जो संसदीय व्यवस्था के मूल्यों के प्रतिकूल है।

iv) किसी समूह विशेष के लिए ही योजनाओं का निर्माण होता है।

v) योजनाओं नीति निर्माण में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है जो हमारे लोकतंत्र व संविधान की आत्मा है।

vi) नीति-निर्माण में मतभेदों की कमी से नीति के दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं जाता।

vii) प्रधानमंत्री ~~नेतृत्व~~ की शक्ति बढ़ती है जो समकक्षों में प्रथम के प्रतिकूल है।

Scanned with CamScanner

अतः, आवश्यक है कि नीति-निर्माण में सब जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएं जिससे व्यापक दृष्टिकोण वाली नीतियों का निर्माण होगा और समावेशी विकास होगा। जिससे भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा।

(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. While judiciary's efforts to infuse accountability in the functioning of government institutions and engender human rights jurisprudence demonstrate the importance of judicial governance, it also leads to concerns around judicial overreach. Discuss. (250 words) 15

जहाँ सरकारी संस्थानों के कार्यकरण में जवाबदेही का संचार करने और मानवाधिकार न्यायशास्त्र उत्पन्न करने का न्यायपालिका का प्रयास न्यायिक शासन का महत्व प्रदर्शित करता है, वहीं यह न्यायिक अतिक्रमण के चतुर्दिक चिंताओं को भी जन्म देता है। चर्चा कीजिए।

उपरोक्त कथन न्यायपालिका के 'न्यायिक सक्रियता' को इंगित करता है जिसमें न्यायपालिका सरकार को अपने कार्य करने के लिए निर्देश देती है।

ध्यातव्य है कि न्यायिक सक्रियता जरूरी भी है क्योंकि —

i) जब सरकार के कार्यकारी व विधायी अंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो जनता न्यायपालिका की तरफ देखती है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करें।

ii) कभी-2 सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो न्यायपालिका उस दशा में कार्य करती है।

iii) कभी-कभी 'विधायी निर्वात' (जहाँ कोई विधि न हो) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति में न्यायपालिका सरकार को निर्देश देती है।

iv) आज के बदलते युग में न्यायपालिका के मन में समाज के लिए कुछ करने की भावना उत्पन्न हो रही है जिससे वह आगे बढ़कर सरकार के विधायी व कार्यकारी अंग को निर्देश देती है जैसे- पर्यावरण प्रदूषण के मामले में।

अतः स्पष्ट है कि न्यायपालिका ~~न्याय~~ न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सरकारी संस्थानों के कार्यकरण में जवाबदेहिता व पारदर्शिता का संचार करने तथा मानवाधिकार न्यायशास्त्र उत्पन्न करने में सहायता करती है।

परंतु, न्यायिक सक्रियता से न्यायिक अतिक्रमण की चिंताएं जन्म लेती हैं —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

i) शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत (Art-50)

ii) न्यायपालिका का कार्य सरकार को यह बताने का है कि कानून क्या है। - कानून बनाने का कार्य कार्यपालिका व विधायिका का है।

iii) 'न्यायिक संयमता' के सिद्धांत के विपरीत है।

iv) न्यायपालिका के न्यायधीश जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं; अतः वे जनता की ज़रूरतों व मांगों के लिए संवेदनशील होने की संभावना कम होती है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुछ परिस्थितियों में जैसे - विधायी निर्वात, त्रिशंकु लोकसभा आदि की स्थिति में न्यायिक सक्रियता ज़रूरी है परंतु यह अति न्यायिक सक्रियता नहीं बननी चाहिए न्यायपालिका को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

14. The power to punish for contempt of court is necessary for the administration of justice. Critically analyse. (250 words) 15

न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

भारतीय लोकतंत्र में 'न्यायिक स्वतंत्रता' को अपनाया गया है जो संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

चूंकि न्यायालय न केवल अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, बल्कि संघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का गारण्टर, संविधान का अभिभावक व व्याख्याता के रूप में भी कार्य करता है। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका को आवश्यक स्वतंत्रता व स्वायत्तता दी जाएँ। इसके लिए निम्न शक्तियाँ दी गई हैं—
कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन-भत्ते की सुरक्षा, ~~संचि~~ संचित निधि पर भारित व्यय, न्यायालय की अवमानना के लिए दण्ड आदि।

न्यायालय की अवमानना दो प्रकार से होती है—

- सिविल ~~न्यायालय~~ अवमानना
- आपराधिक अवमानना

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना जबकि आपराधिक अवमानना के अंतर्गत ऐसा कृत्य करना जिससे न्यायालय की प्रक्रिया बाधित हो और या उसका अपमान हो।

हाल ही में, प्रशांत भूषण पर को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी पाया गया है।

न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक है क्योंकि—

i) न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है।

ii) वह मूल अधिकारों की रक्षा करता है।

iii) संविधान का व्याख्याता

iv) स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य सकें।

परंतु, इसके कुछ दुष्परिणाम भी है—

i) न्यायालय को अत्यधिक शक्तियाँ मिल जाती हैं।

Scanned with CamScanner

ii) निरंकुशता उत्पन्न होती है।

iii) सही रिपोर्ट के प्रकाशन पर भी न्यायपालिका दण्डित करती है।

iv) अतिन्यायसक्रियता

अतः आवश्यक है कि ~~किसी~~ न्यायालय के निर्णयों का समालोचनात्मक मूल्यांकन के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, केवल उन्हीं मामलों के लिए दण्ड होना चाहिए जो न्यायालय की शक्ति को कम करते हो।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. What are the legal concerns associated with custodial violence? Discuss the challenges in curbing such incidents. Also, suggest some ways to address this issue. (250 words) 15

अभिरक्षा में हिंसा से संबद्ध विधिक चिंताएं क्या हैं? ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। साथ ही, इस समस्या का समाधान करने हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए।

हाल ही में एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि अभिरक्षा में हुई हिंसाओं में वृद्धि हुई है। अभिरक्षा में हिंसा से तात्पर्य — पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा से।

विधिक चिंताएँ ⇒

i) अभिरक्षा में हिंसा से मृत्यु दर में वृद्धि हुई।

ii) मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। कैदियों के भी मानवाधिकार होते हैं, अतः उनके प्रति इस प्रकार हिंसा नहीं कर सकते हैं।

iii) यौन शोषण होता है।

iv) मूल अधिकारों का उल्लंघन

v) उन्हें उनके कार्य का पर्याप्त वेतन नहीं मिला

vi) गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण की कमी ~~तथा उनके~~

Scanned with CamScanner

vii) अनु०-21 का उल्लंघन – गरिमा के साथ जीवन जीने का।

ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में आने वाली चुनौतियाँ :⇒

i) अवसंरचनात्मक सम्बंधी मुद्दे :⇒ NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी ~~है~~ विद्यमान हैं।

ii) कुशल कर्मचारियों की कमी अर्थात् मानव संसाधन की कमी।

iii) ~~उन्हें उनके ला~~
सरकार द्वारा जेल पर किया गया खर्च अत्यल्प होता है।

iv) जेल पर नियुक्त कर्मचारियों में संवेदनशीलता की कमी।

v) सुधारकार्यक्रम की अनुपलब्धता।

vi) गुणवत्तायुक्त परिसम्पत्ति निर्माण का अभाव।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय ⇒

i) कर्मचारियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना चाहिए जिससे उनमें संवेदनशीलता का गुण आएगा।

ii) जेलों की संख्या बढ़ाई जाए।

iii) कैदियों को उचित मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए।

iv) गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण व देखभाल की व्यवस्था तथा उनके बच्चों के लिए आवश्यक क्रैच।

v) सुधार कार्यक्रम की व्यवस्था।

vi) सरकार द्वारा जेल पर किया गया खर्च को बढ़ाना चाहिए।

कुल मिलाकर, आवश्यक है कि अभिरक्षा में कैदियों के मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएं तथा जिन्हें 2 वर्ष से अधिक समय हो गया, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, उनके विकास पर ध्यान दिया जाए।

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

16. Civil society interventions, ranging from confrontation to engagement with the government, have played an important role in ushering transparency and accountability in governance in India. Discuss with examples.

(250 words) 15

सरकार के साथ टकराव से लेकर जुड़ाव तक, सिविल सोसाइटी के हस्तक्षेपों ने भारत में शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

सिविल सोसाइटी ~~सरकार~~ एक गैर-सरकारी संगठन होती है जो सरकार की योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों को सरकार से स्वतंत्र होकर मूल्यांकन करती है।

~~सरकार~~ वे सरकारी नीतियाँ जो समाज, पर्यावरण, आदि के अनुकूल नहीं होती, ~~उन्हें~~ उनके विरोध में सिविल सोसाइटी विरोध करती हैं तथा सरकार को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव बनाती है। उदाहरण के लिए- ग्रीनपीस इण्डिया ताप विद्युत कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम। योजनाएँ जिनसे पर्यावरण व स्थानीय निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनके विरोध में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करती हैं, और इन्हें लागू होने से रोकती है।

Scanned with CamScanner

इसके विपरीत, सरकार की वे योजनाएं, नीतियाँ जो समाज के वंचित वर्गों, पर्यावरण, जल, संसाधनों के संरक्षण के पक्ष में हो, उनमें सिविल सोसाइटी सरकार का समर्थन करती है और उनके क्रियान्वयन में मदद करती है। उदाहरण के लिए - Help Age India सरकार की उन नीतियों व योजनाओं का समर्थन करती है जो वृद्ध लोगों के लिए बनाई गई हो जैसे — प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वयोश्री योजना आदि।

ध्यातव्य है कि सिविल सोसाइटी से सरकार ~~को निम्न~~ व नागरिकों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं -

i) पारदर्शिता में वृद्धि
ii) जवाबदेहिता में वृद्धि
iii) सेवा गुणवत्ता में वृद्धि

(iv) योजना के लाभ में लगने वाले समय में कमी।

(v) सरकार की नीतियों को लाभार्थियों व ज़रूरतमंदों के पक्ष में करकर लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है।

(vi) योजनाओं का मूल्यांकन व सामाजिक अंकेक्षण।

अतः स्पष्ट है कि सिविल सोसाइटी भारतीय लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है। एक अर्थ में विपक्ष की भूमिका का क्रियान्वयन कर नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित करने में मदद करती है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. When it comes to hunger, India faces the paradox of plenty. Discuss. Also suggest ways in which this concern can be addressed. (250 words) 15

जब भुखमरी की बात आती है, भारत को प्रचुरता के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन उपायों का भी सुझाव दीजिए, जिनके माध्यम से इस चिंता का समाधान किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

18. What is the role of wage employment in alleviating poverty? How is the MGNREGA different from the earlier Wage Employment Programmes in India? **(250 words) 15**

निर्धनता उन्मूलन में मजदूरी रोजगार की क्या भूमिका है? मनरेगा (MGNREGA) भारत में पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है?

मजदूरी रोजगार से तात्पर्य है कि समाज के गरीब, वंचित वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें उचित मजदूरी प्रदान की जाए जिससे वे अपनी आजीविका सुरक्षित कर जीवन ~~स्तर~~ की आधारभूत सेवाएं प्राप्त कर सकें जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजन, आवास आदि जिससे गरीबी को कम करने में मदद मिलती है।

इसके लिए सरकार, समय-समय पर विभिन्न रोजगार कार्यक्रम चलाती है, जैसे- दीनदयाल अन्त्योदय योजना, ग्रामीण रोजगार योजना आदि। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनरेगा है यह अन्य कार्यक्रम से निम्नलिखित रूप से भिन्न है —

i) यह ~~न्यूनतम 10~~ प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारण्टी प्रदान करता है जबकि

Scanned with CamScanner

अन्य मजदूरी रोजगार पहलों में परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित थे।

ii) अकुशल श्रमिकों/मजदूरों को भी रोजगार प्रदान किया जाता है जबकि अन्य में कुछ कुशल श्रमिकों की मांग होती थी।

iii) सामाजिक अंकेक्षण होता है जबकि अन्य में नहीं होता है।

iv) MIS के माध्यम से वास्तविक समय सूचना प्रबंधन प्रणाली जबकि अन्य में ऐसा नहीं है।

v) National electronic funds system के माध्यम से भुगतान विलम्ब की समस्या का समाधान करना जबकि अन्य में भुगतान विलम्ब की समस्या।

vi) गाँव में महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण हो जाता है।

Scanned with CamScanner

इन सबके माध्यम से निर्धन परिवारों के पास आजीविका आती है जो उनके जीवन में गरीबी को कम करने में सहायक है।

मज़दूरी रोज़गार कार्यक्रम सरकार के अपने दायित्व अनु०- 41 को पूरा करने में मदद करता है जिससे सभी का समावेशी विकास होता है।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. China's aggressiveness in recent times presents not only challenges to India but also opportunities to strengthen itself internationally and domestically. Discuss. (250 words) 15

हाल के दिनों में चीनी आक्रामकता न केवल भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर अपने आपको सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। चर्चा कीजिए।

चीनी आक्रामकता से आशय

चीन प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और विश्व शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।

भारत के लिए चुनौती :-

i) हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है जिससे भारत को समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि भारत का 90% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है।

ii) चीन का BRI (Belt & Road Initiative) कार्यक्रम।

iii) ~~BRI~~ पाकिस्तान के साथ बढ़ता संबंध है। चीन CPEC जो भारत के लिए खतरनाक है। चीन भारत की अस्वीकृति के बाद भी POK से बनाएगा।

v) बांग्लादेश व नेपाल के साथ चीन के बढ़ते संबंध।

vi) रूस के साथ चीन के संबंधों में वृद्धि हुई है। 'पॉवर ऑफ साइबेरिया' के माध्यम से रूस से चीन में प्राकृतिक गैस की सप्लाई जिससे भारत-रूस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव।

vii) अफ्रीका में भी चीन का बढ़ता प्रभाव

viii) UNSC के स्थायी सदस्य व NSG में सदस्य बनने में गतिरोध।

परंतु, इसके बावजूद भारत, अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर अपने आपको सशक्त कर सकता है —

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर :-

i) हिंद-प्रशांत महासागर में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाकर। ध्यातव्य है कि इस क्षेत्र में सभी देशों के हित विद्यमान है।

Scanned with CamScanner

ii) चीन की आक्रामक नीति से सभी देश परेशान हैं, अतः भारत उनका विकल्प बन सकता है।

iii) भारत अपनी सॉफ्ट पॉवर के माध्यम से मालदीव, USA, बांग्लादेश आदि में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है।

iv) एक्ट ईस्ट नीति, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के माध्यम से अपने आप को सशक्त देश के माध्यम से खड़ा कर सकता है।

v) चिकित्सा कूटनीति के माध्यम से।

घरेलू स्तर पर :⇒

• पड़ोसी देशों व पश्चिमी देशों के साथ भू-राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक हितों को संबंध कर व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी के स्तर योगदान। मदद भारत करके अपने घरेलू क्षेत्र को उन्नत कर सकता है।

अतः, स्पष्ट है कि भारत के पास एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरने का अवसर विद्यमान है।

Scanned with CamScanner

20. Trade and connectivity hold the key for India to better engage its neighbours. Examine the opportunities and challenges in South Asia in this context. (250 words) 15

व्यापार और कनेक्टिविटी, भारत के लिए अपने पड़ोसियों से बेहतर तरीके से जुड़ने का सामर्थ्य रखती है। इस संदर्भ में दक्षिण एशिया में अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशिया का विशेष महत्व है और इसके लिए 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' पर काम करता है।

'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के अंतर्गत भारत अपने पड़ोसियों से व्यापार व कनेक्टिविटी पर अधिक ध्यान देता है —

(i) व्यापार :→

(i) बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है, साथ ही विदेशी निवेश का स्रोत भी।

(ii) श्रीलंका SARC देशों में इसका सबसे बड़ा भागीदार है।

(iii) मालदीव, अफगानिस्तान भारतीय वस्तुएँ, चाय, कॉफी, औषधि, वस्त्रों के लिए

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महत्वपूर्ण आधार है।

iv) नेपाल - भूटान के साथ जल - विद्युत समझौते व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

v) BBIN समझौता नेपाल - भूटान - भारत, बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यापार में अत्यधिक वृद्धि करेगा।

कनेक्टिविटी :-

i) भारत अफगानिस्तान मे अनेक कनेक्टिविटी योजनाएं चला रहा है। जैसे - ईरान में चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान जाने का मार्ग - अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण यातायात गलियारा।

ii) बांग्लादेश के साथ 'मुक्त आवागमन समझौता' जिसमें जनजातियों को 16km तक बिना वैध दस्तावेजों के जाने की सुविधा

iii) नेपाल - भूटान के साथ खुली सीमा जिससे रोटी - बेटी का रिश्ता

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु, चुनौतियाँ भी विद्यमान है —

i) इन क्षेत्रों में चीन का प्रभाव — BRI के माध्यम से।

ii) नेपाल व चीन में साम्यवादी दलों की सरकारों के कारण भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण

iii) भारत की 'Big Brother' की छवि से नकारात्मक धारणा।

iv) भारत की विलम्बित परियोजनाओं से असंतोष।

अतः, आवश्यक है कि भारत को पड़ोसियों के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' को अपनाना चाहिए तथा उनके साथ कुछ छूट का बर्ताव करना चाहिए और अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने पर बल देना चाहिए जिससे भारत एक अच्छा पड़ोसी के रूप में उभरेगा।

Scanned with CamScanner